एफएसएसएआई
fssai

For immediate release

प्रेस विज्ञप्ति

एफएसएसएआई ने कर्नाटक में इडली बनाने में प्लास्टिक के उपयोग संबंधी विषय को संबोधित किया, उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए

नई दिल्ली: 1 मार्च, 2025: कर्नाटक के कुछ रेस्तरां में इडली बनाने की प्रक्रिया में प्लास्टिक शीट के उपयोग संबंधी रिपोर्टों का गंभीर संज्ञान लेते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कर्नाटक राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग को जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।

राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग को इस मुद्दे पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBOs) या भोजन तैयार करने में प्लास्टिक का उपयोग करते पाए जाने वाले होटलों के खिलाफ सख्त उपाय लागू करने के लिए कहा गया है। एफएसएसएआई स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्लास्टिक शीट के उपयोग की प्रथा खाद्य सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा करती है क्योंकि प्लास्टिक से हानिकारक रसायनों के भोजन में मिलने की संभावना होती है।

FSSAI के सीईओ श्री जी. कमला वर्धन राव ने कहा, "कम गुणवत्ता वाले या गैर-खाद्य ग्रेड प्लास्टिक का भोजन तैयार करने में, विशेष रूप से उच्च तापमान पर उपयोग, गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है।"

ये निम्न-श्रेणी के प्लास्टिक उच्च ताप के संपर्क में आने पर बिसफेनॉल ए (बीपीए), थैलेट और अन्य रसायनों जैसे जहरीले पदार्थों को छोड़ सकते हैं और खाद्य पदार्थों में मिल सकते हैं, जिससे संभावित रूप से प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव हो सकते हैं। FSSAI इस मामले की गहन जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है कि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

एफएसएसएआई के मुताबिक खाद्य ग्रेड सामग्री और स्वच्छ प्रथाओं का उपयोग भोजन तैयार करने में महत्वपूर्ण है। इडली बनाने की प्रक्रिया पारंपरिक तरीके से या अनुमोदित खाद्य ग्रेड सामग्री के अनुसार की जानी चाहिए जो रासायनिक संदूषण का जोखिम पैदा न करे।"

इसी कड़ी में एफएसएसएआई कर्नाटक के सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों से इडली बनाने में प्लास्टिक शीट का उपयोग तुरंत बंद करने का आग्रह करता है। उपभोक्ताओं को भी सतर्क रहने और ऐसी प्रथाओं के किसी भी उदाहरण की सूचना राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग या प्राधिकरण को देने की सलाह दी जाती है। एफएसएसएआई सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।